न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़िया R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2021/795

प्रकरण संख्या 30/21

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

श्री गणेश सिंह रावत (अधिवक्ता वादी – हुक्मी चंद सांगावत)	बनाम	राज्य सरकार

निर्णय

दिनांक :24.12.2021

1. प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि मौजा गारियावास, पटवार हल्का लालपुरा, तहसील भीण्डर में आराजी नं. 153 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा एवं आ. नं. 177/3 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा प्रार्थी के नाम के आगे मीणा जाति दर्ज है, जबकि प्रार्थी की वास्तविक जाति रावत है, प्रार्थीया के सभी राजकीय दस्तावेजों में यही नाम अंकित है, लेकिन गलती से मौजा गारियावास, पटवार हल्का लालपुरा, तहसील भीण्डर में आराजी नं. 153 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा एवं आ. नं. 177/3 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा में प्रार्थी के नाम के आगे मीणा जाति दर्ज है। अतः प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त आराजियात में प्रार्थी के नाम के आगे मीणा जाति की बजाय रावत किया जावे।

2. प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज किया गया एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट जिसमें बताया कि गणेश सिंह मीणा के बजाय गणेश सिंह रावत किये जाने की अनुशंषा की एवं ग्राम पंचायत लालपुरा द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया जिसमें बताया कि प्रार्थी की जाति रावत ही है। प्रार्थी के राजस्व रेकर्ड में अंकित सहखातेदारों ने भी अपनी सहमति प्रकट की जिसमें उन्होंनें बताया कि मौजा गारियावास, पटवार हल्का लालपुरा, तहसील भीण्डर में आराजी नं. 153 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा एवं आ. नं. 177/3 रकबा 2 बीघा 15 [illegible] मीणा जाति दर्ज है जबकि प्रार्थी की वास्तविक जाति रावत है, प्रार्थी के सभी राजकी[illegible] यही नाम अंकित है लेकिन गलती से मौजा गारियावास, पटवार [illegible] आराजी नं. 153 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा एवं आ. नं. 177/3 र[illegible] 15 बिस्वा में [illegible] का नाम गणेश सिंह मीणा लिखा हुआ है। सभी सहखातेदार सहमत [illegible] प्रार्थी का नाम गणेश सिंह मीणा के बजाय गणेश सिंह रावत किया जाये। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जिसमें आ[illegible] कार्ड, बैंक पास बुक, राशन कार्ड इत्यादि में भी प्रार्थी का नाम गणेश सिंह रावत दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:25:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

3. हमने पत्रावली का अध्ययन किया सम्पूर्ण दस्तावेजों का अवलोकन करने प्रार्थिया एवं विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं बहस पर मनन करने के बाद प्रार्थिया के नाम दर्ज मौजा गारियावास, पटवार हल्का लालपुरा, तहसील भीण्डर में आराजी नं. 153 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा एवं आ. नं. 177/3 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा में में प्रार्थी के नाम के आगे मीणा जाति दर्ज है जबकि प्रार्थी की वास्तविक जाति रावत है । प्रार्थी के सभी राजकीय दस्तावेजों में यही नाम अंकित है लेकिन गलती से मौजा गारियावास, पटवार हल्का लालपुरा, तहसील भीण्डर में आराजी नं. 153 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा एवं आ. नं. 177/3 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा में प्रार्थी का नाम गणेश सिंह मीणा लिखा हुआ है। अतः आराजी नं. 153 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा एवं आ. नं. 177/3 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा में प्रार्थी की जाति मीणा के बजाय रावत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

4. अतः प्रार्थिया के नाम दर्ज मौजा गारियावास, पटवार हल्का लालपुरा, तहसील भीण्डर में आराजी नं. 153 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा एवं आ. नं. 177/3 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा में प्रार्थी की जाति मीणा के बजाय रावत की जाती है। तहसीलदार राजस्व रेकर्ड में भूप्रबन्धन के बाद के नये नम्बर के आधार पर अमल दरामद करे।

5. निर्णय खुले इजलास मजमें आम प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट हिंता में सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:25:05 IST
Reason: SelfAttested